प0सं0–15/डी0एल0ए0, समस्तीपुर (एस0एच0–88)–206/2013–2997/रा0,पटना–15, दि0–20/12/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं0........................... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर दिनांक ....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम रामपुर पगड़ा परगना–सरैसा, थाना–दलसिंहसराय, थाना नं0–60 जिला समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरूणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं0–88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम रामपुर पगड़ा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश **0.74** एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 96, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 185, 186, 187, 188, 202, 203, 212, 214, 215, 189, 191 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 213 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– मुख्य सड़क हाजीपुर से दलसिंहसराय एवं अंश खेसरा सं0 96, 98, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 114 एवं 115 ।

दक्षिण:– अंश खेसरा संख्या 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 185, 186,187, 188, 189, 191, 202, 203, 204, 212, 214 एवं 215 है।

पूरब :– सीमा रेखा ग्राम पगड़ा थाना नं0–59

पूरब:– सीमा रेखा ग्राम बल्लोचक थाना नं0 62।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रबंधक (तकनीकि) पी0 आई0 यू0–3 बी. एस. आर. डी. सी. एल. समस्तीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ0 के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदा0
समस्तीपुर।

अपर समाहर्त्ता 14/8/2013
समस्तीपुर।

समाहर्त्ता
समस्तीपुर।

सरकार के अवर सचिव

P.T.O

ज्ञापांक-2997/रा०डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना,   दिनांक -20-12-13

प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त

18/12/13

सरकार के अवर सचिव